भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-887
जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत लक्ष्य

887. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 'उदय' के तहत एग्रीगेट टेक्नीकल एंड कमर्शियल (एटीएंडसी) में हानि और वसूली एसीएस (आपूर्ति पोर्टल औसत लागत)-एआरआर (औसत राजस्व) अधिदेशित लक्ष्य के बीच अंतर का ब्यौरा क्या है और 'उदय' में जुड़ने से पूर्व तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा अब तक प्राप्त उपलब्धि क्या है;

(ख) 'उदय' योजना के शुभारंभ से तमिलनाडु सहित विभिन्न उक्त डिस्कॉम्स के बकाया ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 'उदय' में शामिल नहीं होने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) 'उदय' योजना के प्रारंभ से 'उदय' से जुड़े राज्यों और नहीं जुड़े राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के सृजन और वितरण में हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्यों द्वारा लिया गया पचहत्तर प्रतिशत ऋण राज्य के वित्तकोष को प्रभावित करता है और यदि हां, तो केन्द्र सरकार किस प्रकार राज्यों को उनके वित्त प्रबंधन में सहायता करती है;

(च) क्या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए कोई प्रदर्शन संबद्ध अनुदान दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या राज्य जीएसडीपी 'सकल राज्य घरेलू उत्पाद' की तीन प्रतिशत सीमा साथ ही शामिल डिस्कॉम्स के ऋणों को राज्यों की उधारी की सीमा के साथ ही डिस्कॉम की देनदारी को भी चुकाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : उदय को उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में दक्षता सुधारों और वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के प्रचालनात्मक और वित्तीय कायापलट के समग्र उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने सुधार की सूचना दी है जिसमें (i) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में वित्तीय वर्ष 2016 में 23.70% से वित्तीय वर्ष 2020 में 20.93 % की कमी और (ii) औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) - औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर में वित्तीय वर्ष 2016 में 0.48 रु. प्रति किलोवाट घंटे से वित्तीय वर्ष 2020 में 0.30 रु. प्रति किलोवाट घंटे की कमी शामिल है। एटीएंडसी हानि और एसीएस-एआरआर अंतरों पर तमिलनाडु सहित राज्यों के निष्पादन के ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिए गए है ।

(ख) : वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की कुल उधार राशियों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए है।

(ग) : ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों और दिल्ली एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र उदय योजना में शामिल हुए है।

(घ) : उदय भारत सरकार पर कोई वित्तीय प्रभाव न पड़ने वाली एक सुधार आधारित स्कीम थी। इस स्कीम में वितरण और उत्पादन के अंतर्गत अवसंरचना के निर्माण के लिए किसी भी वित्तीय सहायता की परिकल्पना नहीं की गई थी।

(ङ) : यह स्वीकार करते हुए कि राज्य के स्वामित्व वाली यूटिलिटियों की देनदारियां स्वयं राज्यों की आकस्मिक देनदारियां हैं, उदय के अंतर्गत राज्यों को उस सीमा तक, भारत सरकार ने राज्यों को एफ़आरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित उधार सीमा में छूट का प्रावधान किया हैं, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) बांड जारी करते हुए दिनांक 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉमों के ऋण का 75% हस्तगत करने की परिकल्पना की गई है। तथापि राज्य मूलधन के पुनर्भुगतान के साथ-साथ इन बांड्स की ब्याज लागत वहन करते हैं।

(च) : एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत, उदय के तहत राज्यों के निष्पादन के आधार पर, 12 राज्यों को 41.51 लाख स्मार्ट मीटरों को क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 834.41 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी गई थी। ब्यौरे **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

(छ) : भारत सरकार ने हाल ही में डिस्कामों की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय स्थिरता से संबद्ध कतिपय निष्पादन मानदंडों पर राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त उधार स्पेस प्रदान करने का निर्णय लिया है। वार्षिक उधारी का यह प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा जीएसडीपी के 3% की नियमित उधार सीमा के अतिरिक्त है।

****

<u>अनुबंध-I</u>

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एटीएंडसी हानियों के राज्य-वार और वर्ष ब्यौरे

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	**24.04**	**24.05**	**22.15**	**22.57**	**21.73**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			19.34	23.39	22.71
आंध्र प्रदेश	10.36	13.77	14.26	25.67	10.77
अरुणाचल प्रदेश	54.58	53.64	58.36	55.50	45.71
असम	26.02	20.11	17.64	20.14	23.37
बिहार	43.30	43.34	33.51	33.30	40.38
चंडीगढ़ (गैर-उदय केंद्र शासित प्रदेश)			4.00	4.21	4.60
छत्तीसगढ़	22.10	23.87	22.50	29.81	23.68
दादरा और नगर हवेली			6.55	5.45	3.56
दमन और दीव			17.01	6.19	4.07
गोवा	19.77	24.33	13.52	15.69	13.99
गुजरात	16.23	14.42	12.96	13.99	11.95
हरियाणा	29.27	26.42	21.78	18.08	18.19
हिमाचल प्रदेश	9.68	11.48	11.08	12.46	11.68
जम्मू और कश्मीर	58.75	59.96	53.67	49.94	60.46
झारखंड	33.34	35.95	32.48	28.60	36.96
कर्नाटक	17.13	16.84	15.61	19.83	17.59
केरल	12.40	13.42	12.81	9.10	14.47
लक्षद्वीप			19.15	23.33	14.28
मध्य प्रदेश	27.37	26.80	30.51	36.64	30.38
महाराष्ट्र	21.74	22.84	14.38	16.23	19.92
मणिपुर	31.72	33.01	27.50	38.17	20.27
मेघालय	45.98	38.81	41.19	35.22	34.32
मिजोरम	35.18	24.98	22.44	16.20	20.66
नागालैंड	33.44	38.50	41.36	40.06	52.93
ओडिशा (गैर उदय राज्य)	38.60	37.19	33.59	31.55	28.94
पुदुचेरी	22.43	21.34	19.19	19.77	18.45
पंजाब	15.88	14.46	17.31	11.28	14.35
राजस्थान	31.59	27.33	24.07	28.25	29.85
सिक्किम	43.89	35.62	32.48	41.83	28.88
तमिलनाडु	16.83	18.23	19.47	17.86	15.00
तेलंगाना	14.01	15.19	19.08	17.80	21.54
त्रिपुरा	32.68	31.79	30.31	35.49	37.85
उत्तर प्रदेश	39.76	40.91	37.80	33.19	30.05
उत्तराखंड	18.01	16.68	16.34	16.96	20.35
पश्चिम बंगाल (गैर उदय राज्य)	28.08	27.83	26.69	23.00	20.40
निजी क्षेत्र	12.44	10.80	9.36	8.28	8.00
दिल्ली	12.44	10.80	9.93	9.17	8.19
गुजरात			6.53	5.20	4.59
महाराष्ट्र				8.20	9.52
उत्तर प्रदेश			9.08	9.36	9.76
पश्चिम बंगाल			10.74	8.95	9.06
कुल जोड़	**23.70**	**23.66**	**21.50**	**21.74**	**20.93**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

टैरिफ सब्सिडी प्राप्ति आधार पर एसीएस-एआरआर अंतर (रु./केडब्ल्यूएच)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	0.50	0.39	0.32	0.54	0.35
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			19.86	19.47	19.58
आंध्र प्रदेश	0.80	0.52	0.09	2.67	(0.19)
अरुणाचल प्रदेश	0.49	3.65	4.64	4.27	4.92
असम	0.23	0.06	(0.32)	(0.32)	(0.36)
बिहार	0.46	0.51	0.68	0.61	0.92
चंडीगढ़ (गैर-उदय केंद्र शासित प्रदेश)			(1.64)	(0.26)	(0.82)
छत्तीसगढ़	(0.01)	0.21	0.23	0.45	0.17
दादरा और नगर हवेली			0.01	(0.02)	(0.03)
दमन और दीव			(1.38)	(0.61)	(0.30)
गोवा	0.71	0.70	(0.06)	0.39	0.60
गुजरात	(0.02)	(0.05)	(0.06)	(0.02)	(0.06)
हरियाणा	0.16	0.04	(0.08)	(0.05)	(0.06)
हिमाचल प्रदेश	(0.31)	0.18	0.03	(0.09)	(0.02)
जम्मू और कश्मीर	3.00	2.65	1.85	1.72	2.03
झारखंड	0.93	1.39	0.16	0.58	0.87
कर्नाटक	0.01	0.29	0.30	0.24	0.39
केरल	0.30	0.62	0.32	0.05	0.10
लक्षद्वीप			19.11	20.30	18.22
मध्य प्रदेश	0.87	0.18	0.78	1.29	0.69
महाराष्ट्र	0.21	0.06	(0.13)	(0.19)	(0.19)
मणिपुर	0.02	0.06	(0.02)	0.34	0.08
मेघालय	0.82	1.66	1.16	0.85	1.80
मिजोरम	2.06	2.12	(1.30)	1.18	(1.94)
नागालैंड	0.20	0.81	0.81	4.09	5.62
ओडिशा (गैर उदय राज्य)	0.39	0.38	0.32	0.60	0.34
पुदुचेरी	(0.02)	0.03	(0.02)	0.13	0.97
पंजाब	0.53	0.65	0.48	(0.07)	0.17
राजस्थान	1.83	0.50	(0.09)	0.06	0.31
सिक्किम	2.09	1.20	0.25	0.02	0.54
तमिलनाडु	0.67	0.50	0.89	1.32	1.27
तेलंगाना	0.74	1.23	1.12	1.38	1.09
त्रिपुरा	0.42	(0.15)	(0.09)	(0.06)	0.43
उत्तर प्रदेश	0.29	0.33	0.45	0.54	0.34
उत्तराखंड	0.10	0.24	0.18	0.38	0.38
पश्चिम बंगाल (गैर उदय राज्य)	(0.04)	0.04	(0.02)	(0.01)	(0.12)
निजी क्षेत्र	(0.10)	(0.16)	(0.44)	(0.38)	(0.48)
दिल्ली	(0.10)	(0.16)	(0.19)	(0.26)	(0.37)
गुजरात			(0.50)	(0.26)	(0.52)
महाराष्ट्र				(0.15)	(0.22)
उत्तर प्रदेश			(1.34)	(0.97)	(0.69)
पश्चिम बंगाल			(0.93)	(0.99)	(0.94)
कुल जोड़	0.48	0.37	0.28	0.49	0.30

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

कुल उधार के राज्य-वार ब्यौरे

करोड़ रुपये में

	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
राज्य क्षेत्र	4,13,058	4,10,897	4,49,476	4,75,240	4,87,000
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
अंडमान एवं निकोबार पीडी	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	**15,690**	**13,274**	**15,387**	**18,023**	**26,811**
एपीईपीडीसीएल	4,690	3,134	3,485	4,422	6,374
एपीएसपीडीसीएल	11,000	10,140	11,903	13,601	20,436
अरुणाचल प्रदेश	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
अरुणाचल पीडी	0	0	0	0	0
असम	**2,603**	**3,016**	**3,518**	**3,787**	**2,429**
एपीडीसीएल	2,603	3,016	3,518	3,787	2,429
बिहार	**3,773**	**2,866**	**3,245**	**5,071**	**6,726**
एनबीपीडीसीएल	1,865	1,394	1,700	2,487	3,081
एसबीपीडीसीएल	1,908	1,472	1,545	2,584	3,645
चंडीगढ़	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
चंडीगढ़ पीडी	0	0	0	0	0
छतीसगढ़	**1,559**	**3,453**	**4,293**	**4,167**	**4,102**
सीएसपीडीसीएल	1,559	3,453	4,293	4,167	4,102
दादरा एवं नगर हवेली	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
डीएनएचपीडीसीएल	0	0	0	0	0
दमन और दीव	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
दमन और दीव पीडी	0	0	0	0	0
गोवा	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
गोवा पीडी	0	0	0	0	0
गुजरात	**1,554**	**819**	**637**	**673**	**636**
डीजीवीसीएल	174	76	61	65	73
एमजीवीसीएल	266	171	162	158	144
पीजीवीसीएल	843	452	346	356	327
यूजीवीसीएल	271	120	68	93	92
हरियाणा	**30,017**	**24,720**	**19,304**	**13,005**	**6,864**
डीएचबीवीएनएल	12,480	10,302	7,969	5,378	3,300
यूएचबीवीएनएल	17,537	14,419	11,335	7,628	3,564
हिमाचल प्रदेश	**4,882**	**5,008**	**5,228**	**5,382**	**5,549**
एचपीएसईबीएल	4,882	5,008	5,228	5,382	5,549
जम्मू एवं कश्मीर	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
जेकेपीडीडी	0	0	0	0	0
झारखंड	**6,986**	**7,996**	**8,593**	**10,149**	**10,530**
जेबीवीएनएल	6,986	7,996	8,593	10,149	10,530
कर्नाटक	**12,179**	**13,793**	**15,328**	**18,021**	**22,766**
बेसकॉम	7,036	7,873	7,896	8,833	10,962
चेसकॉम	1,193	1,579	1,836	1,815	2,408
गेस्कम	848	1,044	884	1,151	2,208
हेस्कॉम	2,329	2,374	3,624	4,986	5,913
मेस्कॉम	772	922	1,088	1,237	1,276
केरल	**5,880**	**7,034**	**18,672**	**19,471**	**20,310**
केएसईबीएल	5,880	7,034	18,672	19,471	20,310
लक्षद्वीप	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
लक्षद्वीप ईडी	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	**37,804**	**36,089**	**37,704**	**46,052**	**49,112**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	13,492	12,828	13,752	16,913	18,178
एमपीपीएकेवीवीसीएल	10,923	10,427	10,689	13,109	13,399
एमपीपीओकेवीवीसीएल	13,389	12,833	13,263	16,030	17,535
महाराष्ट्र	**21,111**	**27,264**	**29,242**	**35,197**	**39,086**

एमएसईडीसीएल	21,111	27,264	29,242	35,197	39,086
मणिपुर	**139**	**268**	**270**	**266**	**262**
एमएसपीडीसीएल	139	268	270	266	262
मेघालय	**350**	**636**	**591**	**593**	**624**
एमईपीडीसीएल	350	636	591	593	624
मिजोरम	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**
मिजोरम पीडी	32	0	0	0	0
नागालैंड	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
नागालैंड पीडी	0	0	0	0	0
ओडिशा	**4,011**	**3,757**	**4,157**	**4,487**	**4,598**
सीईएसयू	2,463	2,698	3,104	3,393	3,575
नेस्को यूटीलिटी	944	407	404	422	393
साउथको यूटीलिटी	170	208	216	225	216
वेस्को यूटीलिटी	434	444	433	447	415
पुद्दुचेरी	**74**	**106**	**120**	**156**	**179**
पुद्दुचेरी पीडी	74	106	120	156	179
पंजाब	**25,467**	**27,987**	**29,870**	**30,473**	**16,258**
पीएसपीसीएल	25,467	27,987	29,870	30,473	16,258
राजस्थान	**80,746**	**73,518**	**63,564**	**54,538**	**48,934**
एवीवीएनएल	26,658	23,965	20,479	18,634	15,565
जेडीवीवीएनएल	26,111	23,517	20,376	16,513	16,184
जेवीवीएनएल	27,977	26,037	22,710	19,391	17,185
सिक्किम	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
सिक्किम पीडी	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	**88,782**	**92,693**	**1,01,295**	**1,13,438**	**1,24,413**
टैंजेडको	88,782	92,693	1,01,295	1,13,438	1,24,413
तेलंगाना	**13,944**	**9,049**	**14,128**	**17,638**	**21,947**
टीएसएनपीडीसीएल	5,617	3,860	5,441	7,143	9,451
टीएसएसपीडीसीएल	8,326	5,189	8,687	10,495	12,497
त्रिपुरा	**160**	**357**	**477**	**466**	**414**
टीएसईसीएल	160	357	477	466	414
उत्तर प्रदेश	**39,535**	**42,091**	**58,230**	**59,212**	**58,327**
डीवीवीएनएल	14,672	14,481	18,837	17,999	17,001
केस्को	2,033	2,367	2,194	2,063	2,010
एमवीवीएनएल	7,498	7,976	11,859	12,292	12,544
पीएवीवीएनएल	6,528	7,208	10,386	11,300	11,495
पीयूवीवीएनएल	8,804	10,059	14,954	15,558	15,277
उत्तराखंड	**1,380**	**2,008**	**2,211**	**2,173**	**1,902**
यूपीसीएल	1,380	2,008	2,211	2,173	1,902
पश्चिम बंगाल	**14,402**	**13,095**	**13,412**	**12,803**	**14,222**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	14,402	13,095	13,412	12,803	14,222
निजी क्षेत्र	**8,135**	**6,315**	**14,946**	**24,782**	**27,237**
दिल्ली	**8,135**	**6,315**	**5,192**	**4,995**	**5,631**
बीआरपीएल	2,107	1,382	588	649	998
बीवाईपीएल	2,120	1,552	1,334	1,233	1,174
टीपीडीडीएल	3,907	3,381	3,271	3,113	3,459
गुजरात	**0**	**0**	**3,162**	**3,549**	**3,677**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	0	0	2,526	2,890	3,038
टोरेंट पावर सूरत	0	0	636	658	639
महाराष्ट्र	**0**	**0**	**0**	**9,855**	**11,168**
एईएमएल	0	0	0	9,855	11,168
उत्तर प्रदेश	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
एनपीसीएल	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	**0**	**0**	**6,592**	**6,383**	**6,761**
सीईएससी	0	0	5,947	6,045	6,453
आईपीसीएल	0	0	645	338	308
कुल जोड़	**4,21,193**	**4,17,212**	**4,64,422**	**5,00,022**	**5,14,237**

****

<u>अनुबंध-IV</u>

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उदय राज्यों के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली की स्थिति

<u>संस्वीकृति के ब्यौरे</u>

<u>दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार</u>

	राज्य	**यूटिलिटी**	**पीएमए सहित कुल संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)**	**नोड की संख्या**
1	**आंध्र प्रदेश**	एपीईपीडीसीएल	57.17	2,84,444
2		एपीएसपीडीसीएल	5.02	25,000
3	**बिहार**	एनबीपीडीसीएल	70.49	3,50,700
4		एसबीपीडीसीएल	87.35	4,34,600
5	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	36.58	1,81,997
6	**गुजरात**	डीजीवीसीएल	6.61	32,882
7		एमजीवीसीएल	20.10	1,00,000
8		पीजीवीसीएल	18.10	90,051
9		यूजीवीसीएल	7.83	38,950
10	**हिमाचल प्रदेश**	एचपीएसईबीएल	27.27	1,35,716
11	**कर्नाटक**	सेसकॉम	66.90	3,32,850
12		हेस्कॉम	68.96	3,43,100
13	**केरल**	केएसईबीएल	64.68	3,21,800
14	**मध्य प्रदेश**	एमपीपीकेवीवीसीएल-डब्ल्यू	69.44	3,45,463
15	**महाराष्ट्र**	एमएसईडीसीएल	80.40	4,00,000
16	**पंजाब**	पीएसपीसीएल	17.71	88,100
17	**राजस्थान**	एजेवीवीएनएल	37.96	1,88,860
18		जेएवीवीएनएल	56.64	2,81,782
19		जेओवीवीएनएल	19.53	97,158
20	**तेलंगाना**	टीएसएनपीडीसीएल	13.06	65,000
21		टीएसएसपीडीसीएल	2.61	13,000
	कुल:		**834.41**	**41,51,453**

****